

पत्रांक-मं0स0का0का0 (गठन) 01/2011...../

दिनांक-...../

**बिहार सरकार**  
**मंत्रिमंडल सचिवालय (का0का0) विभाग**

-:: संकल्प ::-

राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को विभागीय संकल्प संख्या-995 दिनांक-16.11.2009 द्वारा पुनर्गठित की गई थी। इस संकल्प के कंडिका '6' में राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष को प्रतिमाह मानदेय एवं अनुमान्य सुविधाओं का उल्लेख है।

02. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-106 दिनांक-08.08.11 द्वारा समिति के उपाध्यक्ष को देय सुविधाओं में आंशिक संशोधन किया गया।

03. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-995 दिनांक-16.11.2009 के कंडिका '6' एवं संकल्प संख्या-106 दिनांक-08.08.11 को विलोपित करने का निर्णय लिया है।

04. राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष को किस स्तर की सुविधा देय होगी, इसे मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

05. यह निर्णय तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण के सूचना के लिए इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(अजय कुमार द्विवेदी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक- मं0स0का0का0 (गठन) 01/2011/..... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अजय कुमार द्विवेदी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक- मं0स0का0का0 (गठन) 01/2011/..... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- सभी मंत्री/राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(अजय कुमार द्विवेदी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक- मं0स0का0का0 (गठन) 01/2011/..... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व पर्वद/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

(अजय कुमार द्विवेदी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक- मं0स0का0का0 (गठन) 01/2011/...501... पटना, दिनांक-...11/09/14...

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
11-09-14

(अजय कुमार द्विवेदी)

सरकार के विशेष सचिव